



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी (म.प्र.)**



कार्यालय दूरभाष नं.- 7692-299699

ई-मेल- seonimedicalcollege@gmail.com  
 वेबसाइट- www.gmcseoni.org

क्र. 1313/स्था/जीएमसी/2025

सिवनी, दिनांक 11/07/2025

**"आदेश"**

मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2023 के नियम 7 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 12 (2) के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा-2024 के समूह-5 अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी के सम्मिलित पदों की पूर्ति हेतु मण्डल द्वारा अनुशंसित मेरिट सूची में आये अभ्यर्थियों को आगामी अन्य आदेश तक तथा निर्धारित शर्तों के अधीन टेक्नीशियन के पद पर वेतनमान 28700/- (सातवें वेतनमान का लेवल-7) पर नीचे दी गई तालिका अनुसार नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

S.No.	Name of the Candidate	Father's Name	Allotted Cat/Class	Correspondence Address
1	2	3	4	5
1.	DEEPSHIKHA DAHARWAL	MAHENDRA DAHARWAL	UR/SAMVIDA KARMI/FEMALE	Dadu Dharamsala ke samne Seoni MP 480661

**नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-**

- नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यालय में उपस्थित होने पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने के पूर्व पुनः उनके मूल अभिलेखों यथा शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, अनुभव इत्यादि का परीक्षण संस्था स्तर पर गठित छानबीन समिति द्वारा किया जावेगा। छानबीन समिति द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को उपयुक्त पाये जाने पर ही पदभार ग्रहण कराया जावेगा। असत्य/कूटरचित अभिलेख पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर विधि अनुसार कार्यवाही संस्थित की जावेगी। एवं अपूर्ण दस्तावेजों की पूर्ति हेतु 2 माह का समय दिया जावेगा। 2 माह के भीतर उपयुक्त दस्तावेज न पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त कर विधि अनुसार कार्यवाही संस्थित की जावेगी।
- नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- नियुक्त अभ्यर्थी को सिवनी जिले के जिला चिकित्सा मण्डल (मेडिकल बोर्ड) के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2023 के नियम 13 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर होगी।
- परिवीक्षा अवधि में संबंधित पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष .70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायरपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन देना प्रारंभ किया जावेगा।
- नियुक्त अभ्यर्थी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-6 अनुसार उल्लेखित अनर्हताएं पाएं जाने की दशा में यह नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अद्वैत स्थायी) सेवा नियम, 1960 के नियम 12(ए) के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर समाप्त की जा सकेंगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त शर्त के उल्लंघन पर शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बावजूद देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
- नियुक्त अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, 2005 लागू होंगे।
- कार्यमांत्र ग्रहण करने की तिथि तक नियुक्त अभ्यर्थी को वचन देना होगा कि उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में नैतिक पतन का प्रकरण विचाराधीन नहीं है और ना ही किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है। भविष्य में ऐसे प्रकरण दर्ज होने की जानकारी संज्ञान में आने पर नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
- यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप सेवा के अयोग्य पाए जाए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ.सी. 3-15/2012/1/3, दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- पूर्व से अन्यत्र शासकीय/स्वशासी/निगम/मण्डल/अद्वैतशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग-पत्र अथवा सेवारत न रहने की दशा में स्वयोर्पित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नियुक्त अभ्यर्थी पर अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश बंधनकारी होंगे।

निरन्तर.....02



//02//

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

\\

अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी (म0प्र0)

पृष्ठा क्रमांक / स्था०/अराज/2025/1313  
प्रतिलिपि:-

सिवनी दिनांक 11/07/2025

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर।
3. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संभागायुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, म.प्र।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला—सिवनी।
7. जिला मेडिकल बोर्ड, जिला सिवनी म.प्र।
8. स्थानीय कार्यालय, लेखा/भवन शाखा।
9. श्री/श्रीमति/कु. ....पता.....

की ओर प्रष्ठित कर लेख है कि 15 दिवस के भीतर अधिष्ठाता कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करावे।

अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी (म0प्र0)

अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी